

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24 (2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की उपजिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद की वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक की पुनर्विलोकन बैठक दिनांक 24.12.2020 में की गई अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों का संबंधित चयन वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध से वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर प्रधानाध्यापक पद से वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद (ग्रुप-ई) पर चयन/चयन वर्ष परिवर्तित किया जाता है :-

क्रस	वरिष्ठता कमांक	वर्ष	नाम आशार्थी	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	शिडू	पूर्व चयन वर्ष	नवीन चयन वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33	ए	1998-99	राम किशोर शर्मा	30.06.51	सा0	पु0	1	पूर्व चयन नहीं	2009-10
2	267	0	1999-00	बालू लाल शर्मा	14.06.52	सा0	पु0	1	2009.10	2010-11

उप प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर पूर्व प्राप्त चयन परिणाम उक्त चयन के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण योग्य होगा।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-111/वउजिशिअ/डीपीसी/2009-10 से 2010-11/ दिनांक: 21/01/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन एबी(प्रभाग बी-1/2) को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर